राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक:एफ–6 (33)राज–6/2001/13 जयपुर, दिनांक 25/07/2011

परिपत्र

विना सक्षम स्वीकृति के अथवा स्वीकृति की शर्तों की पालना किये विना संचालित ईंट भट्टों के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु मुख्य सचिव महोदय द्वारा जारी किये गये समसंख्यक परिपत्र दिनांक 26–07–2010 की तरफ समस्त जिला कलेक्टर्स का स्मरण कराते हुये राजस्थान भूराजस्व (ईंट भट्टों की स्थापना के लिये भूमि का आवंटन) नियम, 1987 के नियम 7 (2) (क) और (ग) की तरफ ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें प्रावधान है कि

"(2) Allotment under these rules be allowed only if-

(a) the land is not situated within one kilometer of the Village Panchayat.

(b) --------

(c) No objection Certificate is issued by the concerned Village/ Municipal/ Local Authority and Rajasthan State Pollution Control Board which shall while issuing such a No Objection Certificate ensure that such kiln shall not cause any pollution or fire hazard to village abadi & storage godown or places of religious worship or of historical or tourist importance."

नियमों में उपरोक्तानुसार प्रावधानों और पूर्व परिपत्र दिनांक 26–07–2010 द्वारा दिये गये स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राज्य स्तर पर इस प्रकार की शिकायतें आ रही है कि–

1. अधिकांश ईट भट्टे बिना सक्षम स्वीकृति के चलाये जा रहे हैं।
2. जिला कलेक्टर्स द्वारा ईंट भट्टों की स्वीकृति जारी करने से पूर्व सम्बन्धित ग्राम पंचायत/ नगर निकाय से सहमति नही ली जाती हैं।
3. जो ईट भट्टे सक्षम स्वीकृति से लगाये गये हैं उनके संचालन में भी भट्टों के संचालकों द्वारा शर्तों की पालना नहीं की जा रही है।

और इन कारणों से स्थानीय निवासियों को प्रदूषण की समस्याओं का सामना करना पडता है।

यह एक गंभीर समस्या है और जिला कलेक्टर्स से अपेक्षित है कि नियमों/ स्वीकृति की शर्तों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करावें और बिना स्वीकृति के स्थापित/संचालित ईट भट्टों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही कर तत्काल नियमानुसार उन्हें बन्द कराने की कार्यवाही की जावें।

25/7/11
शासन उप सचिव

क्रमांक:एफ–6 (33)राज–6 / 2001 जयपुर, दिनांक 25 / 07 / 2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यावरण विभाग, राजस्थान सरकार।
3. समस्त जिला कलेक्टर्स, राजस्थान को भेज कर लेख है कि निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावे तथा इस परिपत्र की प्रतियां समस्त जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करावें।
4. निजी सचिव, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज को उनकी अर्द्धशासकीय टीप संख्या मंग्राविपंरा / 11 / 2539 दिनांक 14–07–2011 के क्रम में सूचनार्थ।
5. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर।
6. गार्ड फाईल।

25/7/11
शासन उप सचिव